



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221836
CG-DL-E-19092020-221836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2843]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942

No. 2843]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3191(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३(क) की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ._____तारीख , _____जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड ३, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में यह समाधान हो जाने के पश्चात् की महाराष्ट्र राज्य में अहमदपुर से पिंपळा जंक्शन (कि.मी.0.000 से कि.मी.137.300) पिंपळा जंक्शन से मांजरसुंबा (कि.मी.55.615 से कि.मी.137.300) और मांजरसुंबा से चुंबळीफाटा (कि.मी.137.300 से कि.मी.169.467) (अहमदपुर-कोपरा-किनगाव-आंबेजोगाई-केज-मांजरसुंबा-पाटोदा-जामखेड महाराष्ट्र राज्यमार्ग 56, नया राष्ट्रीय राज्यमार्ग 548 D का भाग) कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिसूचना कि धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अधीन तारीख “२० जनवरी २०२०” को “दैनिक झुंजार नेता (मराठी) “और “सायं दैनिक बीड सरकार (मराठी)” दोनों में प्रकशित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे; और सक्षम प्राधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है : और समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी हैं।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम के धारा ३ (घ) की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये घोषणा करती है की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का प्रर्वोक्त प्रयोजन के लिय अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ (घ) की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती हैं की इस अधीसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अधीसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर आत्यंतिक रुप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदपुर से पिंपळा जंक्शन (कि.मी.0.000 से कि.मी.55.615) पिंपळा जंक्शन से मांजरसुंबा (कि.मी.55.615 से कि.मी.137.300) और मांजरसुंबा से चुंबळीफाटा (कि.मी.137.300 से कि.मी.169.467) अहमदपुर-कोपरा-किनगाव-आंबेजोगाई-केज-मांजरसुंबा-पाटोदा-जामखेड महाराष्ट्र राज्यमार्ग 56, नया राष्ट्रीय राजमार्ग 548 D का भाग अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा सहित भूमिका संक्षीप्त विवरण।
धर्मापुरी-लाडझरी (कि.मी.25.600 से कि.मी. 42.600)

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: बीड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: परळी				
	गांव का नाम: धर्मापुरी				
1	2046	निजी	ड्राई + वेट	0.3	श्री.मालकार्जुन मरलसिध्द देवस्थान (२०४६)
			कुल	0.3	

[फा. सं. NH-12014/98/2016-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3191(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highway No.S.O _____ dated _____, published in Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), issued under section (1) of section 3(A) of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/Two laning/Four laning, with the paved shoulder etc.) maintenance, management and operation of NH 548 D on the stretch of from Ahmedpur to Pimpla junction (km.0.00 to 55.615, Pimpla junction to Manjarsumba (km.55.615 to km.137.300 & Manjarsumba to Chumbli Phata (km.137.300 to 169.437) (Section of Road Ahmedpur-Kopra-Kinagaon-Ambejogai-Kaij-Manjarsumba-Patoda-Jamkhed, Old SH 56 and New NH 548 D) in the district Latur & Beed in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Zunjar Neta-I*” and “*Daily Sayandainik Beed Sarkar-2*” both dated “20 January 2020”; under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act.

And whereas objections has been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

As whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of the land from Ahmedpur to Pimpla Dhaiguda (Km. 0.000 to Km. 55.615), Pimpla junction to Manjarsumba (Km. 55.615 to Km. 137.300 & Manjarsumba to Chumbli Phata (Km. 137.300 to Km. 169.437) (Section of Road Ahmedpur-Kopra-Kinagaon-Ambejogai-Kaij-Manjarsumba-Patoda-Jamkhed, Old SH 56 and New NH 548 D) in the state of MAHARASHTRA.
Dharmapuri-Ladjhari (Km.25.600 to km.42.600)**

State: MAHARASHTRA			District: BEED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Parali				
	Viilage: Dharmapuri				
1	2046	Private	dry + wet	0.3	shri Malkarjun Maralsiddha Devasthan 2046
			TOTAL	0.3	

[F. No. Number: NH-12014/98/2016-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.